न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी:– डॉ. राकेश कुमार शर्मा आर.ए.एस.

अपील संख्या 17/2019

छोटू सिंह पुत्र सूर सिंह जाति राजपूत निवासी आसूसर तहसील तहसील सरदारशहर जिला चुरू। —— अपीलांट

बनाम

स्टेट आफ राजस्थान। —रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज.भू–राजस्व अधि. 1956
विरूद्ध आदेश सहायक आयुक्त उपनिवेशन घडसाना के
आदेश दिनांक 18.03.1976 की पालना के सम्बन्ध में।

उपस्थिति–
श्री राजीव पाण्डे अभिभाषक अपीलांट
श्री महावीर धारणीयां राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक–31/07/2019

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं प्रार्थी/अपीलांट को जांच अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 20.02.76 से 16.10 बीघा कमाण्ड भूमि के पुख्ता आवंटन का पात्र माना तथा पात्र व्यक्तियों को सूची में अंकित कर मय सूची पत्रावली सहायक उपनिवेशन आयुक्त एवं आवंटन अधिकारी घडसाना द्वारा आयोजित सलाहकार समिति की बैठक में वास्ते अन्तिम निर्णय दिनांक 18.03.76 को उपनिवेशन तहसील घडसाना मुकाम अनूपगढ में पेश होने के आदेश दिये। आदेश में यह भी अंकित किया कि लोटरी दिनांक 25.03.76 को मुख्यालय उपनिवेशन तहसील अनूपगढ पर निकाली जावेगी।

(A) सहायक उपनिवेशन आयुक्त एवं आवंटन अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 18.03.76 से प्रार्थी को 16.10 बीघा भूमि आवंटन का पात्र घोषित किया। आदेश में यह भी अंकित किया है कि पत्रावली लोटरी कार्यक्रम दिनांक 25.03.76 को पेश हो।

(B) अपीलांट ने उक्त आदेश दिनांक 18.03.1976 की पालना में भूमि आवंटन किये जाने के आदेश हेतु यह अपील पेश की है। अपील के साथ अपीलांट ने दफा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

(i) विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट ने भूमिहीन आवंटन के तहत भूमि आवंटन किये जाने हेतु आवंटन अधिकारी एवं सहायक उपनिवेशन आयुक्त घडसाना के समक्ष आवेदन दिया जिस पर एक लम्बे समय तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। अपीलांट का दिनांक 18.03.1976 को आवंटन का पात्र सक्षम घोषित किया लेकिन आज दिनांक तक अपीलांट की आवंटन पत्रावली पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अपीलांट बार–बार सहायक उपनिवेशन आयुक्त एवं उपनिवेशन विभाग से क्षेत्राधिकार परिवर्तन के उपरांत उपखण्ड अधिकारी घडसाना के समक्ष हाजिर होकर आपनी भूमिहीन आवंटन पत्रावली पर की जा रही कार्यवाही बाबत पूछताछ करता रहा मगर हर बार उसे कहा गया कि अभी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है जब भी कार्यवाही की जाएगी तब आपको नोटिस दिया जावेगा। मगर एक लम्बे समय तक किसी प्रकर का कोई नोटिस प्राप्त नहीं होने पर अपीलांट दिनांक 16.04.2019 को पुनः उपखण्ड अधिकारी घडसाना के समक्ष हाजिर होकर अपने भूमिहीन आवंटन आवेदन पर की जा रही कार्यवाही बाबत पूछताछ की तो उपखण्ड अधिकारी घडसाना ने अपीलांट की आवंटन पत्रावली पर किसी प्रकार की कार्यवाही करने में असमर्थता व्यक्त की । तब अपीलांट ने नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी। अपील के साथ अपीलांट ने दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रा.पत्र पेश किया है जिसमें देरी बाबत समुचित कारण अंकित किया है। अपीलांट का प्रा.पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जावे। विद्वान अभिभाषक निवेदन किया कि आदेश दिनांक 18.03.1976 की पालना में अपीलांट को भूमि आवंटन किये जाने के आदेश फरमावे। अपीलांट ने अपने कथनों के सर्मथन में निम्न न्यायिक दृष्टांतो का हवाला दिया:–

(1) आर.आर.डी. 1998 पेज 319 (2) 2018 डी.एन.जे.(एस.सी.) पेज 618
(3) 2017(2)सी.जे.(सिव.)(राज.) पेज 1027 (4) आर.आर.डी.14.12.2008 पेज 804
(5) 2017(2)सी.जे.(सिव.)(राज.) पेज 715 (6)आर.आर.टी. 2016(2)1378
(7) आर.आर.डी. 2006 पेज 397

(ii) विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट ने अपीलांट ने उक्त अपील आदेश दिनांक 18.03.76 के विरूद्ध दिनांक 03.06.2019 को पेश की है जो लगभग 43 वर्ष बाद पेश की है जो स्पष्ट रूप से मियाद बाहर है। देरी बाबत जो तथ्य अंकित किये हैं वे समुचित व संतोषजनक नहीं है तथा AIR 2019 S.C. 1423, AIR 2019 Raj. 52 नजीरें पेश की व 43 वर्ष की देरी को क्षमायोग्य नहीं मानने की दलील दी।

राजस्व अपील अधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अपील मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील खारिज की जावे।

3. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

(I) In such matter the appealant has filed the appeal after 43 years passed the order of elegibility for allotment to appealant.

(II) Since the order of lower court in favour of appealant; Passed, by which the appealant found to be elegible to get allotment and the matter been reffered to allotment committee on dated 20-02-76.

(III) After the order passed, neither any further action be taken by allotting authority nor any application of allottee been found on the file, that can show any effort or delegence in this regard during last 43 years.

(IV) It is evident that fact, that the appealant had been slept for a long duration without made any efforts to get allotment. Which he said to have been claimed and he had denied by allotting authority.

(V) The law can not help such person who failed to show any document that can shows his jeal for get justice or allotment of land for last 43 year.

(VI) It is however, also worth mantioned that, on the part of allotting authority, there were no action been taken in that regard since 1976 .

(VII) In such case, at least that may happened, that the (allottee) appealant may have liberty to go to allotting authority and made a requisition afresh and the allotting authority would having consider his application on availability of land and it be treated as de-novo and it also subject to examining the genuineity of the applicant.

(VIII) In the light of above facts it is not only matter of the extra ordinary deley of 43 year without any justification but also the appealant failed to shows any timely steps taken by him during such long period for saught justice.

राजस्व अपील अधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

(IX) No sufficient cause given within the meaning of sec. 5, deley of 43 year's in filing appeal inordinate and unexplaain cause, can not be condened.

(X) The citatation furnished by learned govt. counsel, much more lettest verdict upon the extraordinary deley causing by appealant should not be treated ordinarily and condone by the appealate court.

(XI) Following above observations no order need to be passed regarding this appeal which filed after 43 year without giving any justification for condonation of extraordinary deley as that have no merit also.

(XII) It is therefore, the appeal hearby dismissed.

निर्णय आज दिनांक 31/07/19 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर